न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली)

वाद संख्या:– 110 / प्रा0पत्र / 2019

1. जितेन्द्र योगी आयु 25 वर्ष आ0 श्री बाबूनाथ जाति नाथ निवासी कचनारिया (मेण्डी), तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी (राज0)।

प्रार्थी

बनाम

1. मोहन पिता भूरा जाति योगी निवासी कचनारिया
2. भैरू पिता भूरा जाति योगी निवासी कचनारिया
3. गोपाल पिता शोजी जाति योगी निवासी कचनारिया
4. मोनू पिता बाबू जाति योगी निवासी कचनारिया
5. औकार आ0 रामचन्द्र जाति योगी निवासी कचनारिया
6. बन्ना आ0 श्री रामचन्द्र जाति योगी निवासी कचनारिया
7. मुन्ना आ0 रामचन्द्र जाति योगी निवासी कचनारिया
8. मेघराज आ0 रामचन्द्र जाति योगी निवासी कचनारिया
9. फूलाबाई पुत्री रामचन्द्र जाति योगी निवासी कचनारिया
10. धन्नी बाई पुत्री रामचन्द्र जाति योगी निवासी कचनारिया
11. कलावती पुत्री रामचन्द्र जाति योगी निवासी कचनारिया
12. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला–बून्दी, राज0

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा :– 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय दिनांक :– 30 / 03 / 2020

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि खाता संख्या 90 खसरा संख्या 564 रकबा 3 बीघा 15 बीस्वा, खसरा संख्या 565 रकबा 5 बीघा 12 बीस्वा, खसरा संख्या 566 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, खसरा संख्या 578 रकबा 22 बीघा 9 बिस्वा, खसरा संख्या 578 / 681 रकबा 1 बीस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 34 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम कचनारिया पटवार हल्का मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है जो प्रार्थी व अप्रार्थीगण के खाते में दर्ज है जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमिया पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्त है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमिया के पूर्व खातेदार बाबू पिता शोजी थे और बाबू की मृत्यु के बाद विरासत से नामान्तरण खोला गया जिसमें प्रार्थी के

म भूमिया हिस्सेनुसार दर्ज की गई नामान्तरण पंजिका में प्रार्थी का नाम गांव की बोल चाल की भाषा राजूनाथ के नाम दर्ज कर दिया और नामान्तरण तस्दीक कर दिया गया। प्रार्थी को भारत सरकार द्वारा आधार कार्ड बनाया गया है जिसके आधार संख्या 928036521832 व भामाशाह कार्ड संख्या वी.टी.बी. जेड.के.एन.जे. एवं राशन कार्ड संख्या 876 पेनकार्ड नम्बर ऐ0वाई0जी0पी0वाई0 7722 बी व मतदाता पहचान पत्र संख्या आई0वाई0वाई0 0922914 जारी हो रहे है जिसमे प्रार्थी का नाम जितेन्द्र योगी दर्ज हो रहा है जो प्रार्थी का वास्तविक नाम है। और उक्त नाम ही सभी सरकारी दस्तावेजात में अंकित हो रहा है। प्रार्थी द्वारा पटवार हल्का मेण्डी से अपने खाते की जानकारी की नकले निकलवाई तो उसे अपने गलत नाम के इन्द्राज की जानकारी मिली तो उसने संबंधित पटवार हल्का व तहसीलदार के यहां नाम संशोधन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तो उनके द्वारा नाम शुद्ध करने से मना कर दिया और उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली के यहां प्रार्थना पत्र पेश करने को कहा जिस पर प्रार्थीया अविलम्ब उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश कर रही है। प्रार्थीया को अधिकार प्राप्त है कि वो प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों में अपने नाम दर्ज भूमियों में खातेदार राजूनाथ पिता बाबू के स्थान पर जितेन्द्र योगी आ0 बाबूनाथ योगी दर्ज करावें। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमिया वाके ग्राम मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित होने से उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार श्रीमान को प्राप्त है। प्रार्थी को जमाबंदी की नकले मिलने पर गलत इन्द्राज की जानकारी मिलते ही अविलम्ब उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश है। प्रार्थना पत्र निर्धारित कोर्टफीस तलबी तलबाने पर प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों में प्रार्थीया का नाम राजूनाथ आ0 बाबू के स्थान पर जितेन्द्र योगी आ0 बाबूनाथ दर्ज करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 11 की ओर से जवाब पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों में खातेदार राजूनाथ आ0 बाबू के स्थान पर जितेन्द्र आ0 बाबूनाथ दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति नही है।

अप्रार्थीगण संख्या 12 की ओर से जवाब पेश कर कथन किया कि माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार दावे की कम संख्या (1) में अंकित भूमियों में राजूनाथ के स्थान पर जितेन्द्र दर्ज कर आदेश किया जाना न्यायोचित है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थीयां ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम जितेन्द्र योगी है जो सही है जिसे जमाबंदी खाता संख्या 90 की कृषि भूमि खसरा संख्या 564, 565, 566, 578, 578/681 कुल किता 5 कुल रकबा 34 बीघा 4 बीस्वा वाके ग्राम कचनारिया पटवार मंडल मेण्डी में राजूनाथ के स्थान पर जितेन्द्र योगी पि0 बाबूनाथ दर्ज किया जावें। जमाबंदी में दर्ज सहखातेदार ने भी इकबालिया जवाब प्रस्तुत कर राजूनाथ नाम न होकर जितेन्द्र योगी सही होना अंकित किया है।

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत

स्तावेजो ड्राईविंग लाईसेन्स नम्बर RJ0820110057120, आधार कार्ड नम्बर 9280 3652 1832, मतदाता पहचान पत्र नम्बर 1YY/0922914, स्थायी लेखा संख्या कार्ड कमांक AYGPY7722B, भामाशाह कार्ड नम्बर VTVZKNJ, परिवार राशन कार्ड संख्या 0876 में जितेन्द्र योगी पि0 बाबूनाथ दर्ज है, जिसे राजस्व रिकोर्ड में सही दर्ज करने हेतु सहखातेदारान को भी कोई आपत्ति नही है। अतः मुताबिक दस्तावेज/प्रस्तुत जवाब के जमाबंदी में अंकित राजूनाथ के अंकन को विलोपित कर प्रार्थी का सही नाम जितेन्द्र योगी पि0 बाबूनाथ कोम जोगी दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर भूमि खाता संख्या 90 की कृषि भूमि खसरा संख्या 564, 565, 566, 578, 578/681 कुल किता 5 कुल रकबा 34 बीघा 4 बीस्वा वाके ग्राम कचनारिया पटवार मंडल मेण्डी में राजूनाथ के स्थान पर जितेन्द्र योगी पि0 बाबूनाथ कोम जोगी राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया जावें। निर्णय की पालना हेतु नायब तहसीलदार दबलाना को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(मुकेश कुमार चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली